राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(9)वित्त/अंकेक्षण/2025 दिनांक 21.08.2025 एवं दिनांक 28.10.2025 के अनुसरण में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, अलवर में आर.टी.ई. के तहत निजी विद्यालयों को वर्ष 2024–25 में किये गये भुगतान में अनियमितताओं की विशेष जांच हेतु निम्नानुसार विशेष जांच दल का गठन किया जाता है :–

1.	श्री बबलू,	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I,	(प्रभारी, भौ.जां.दल सं. 19, भरतपुर)	प्रभारी
2.	श्री सुभाष चन्द शर्मा,	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I,	(सदस्य, भौ.जां.दल सं. 19, भरतपुर)	सदस्य
3.	श्री सुमितवीर सिंह,	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II,	(सदस्य, भौ.जां.दल सं. 19, भरतपुर)	सदस्य

विशेष जांच कार्य शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(9)वित्त/अंकेक्षण/2025 दिनांक 21.08.2025 (प्रति संलग्न) के अनुसार सम्पादित करेंगे।

जांच के बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. RTE Portal पर प्रदर्शित/रजिस्टर्ड/अपलोड विद्यालय की जांच कि क्या ऐसे विद्यालय अस्तित्व में है एवं क्या UDISE+ (Unified District Information System For Education Plus) पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी है।
2. RTE फीस का पुनर्भरण क्या 3:1 के अनुपात में किया गया है।
3. क्या अन्य विद्यालयों के UDISE कोड को RTE Portal पर उपयोग कर RTE फीस का पुनर्भरण प्राप्त किया गया है।
4. क्या बन्द निजी विद्यालयों को भी RTE पुनर्भरण किया गया है।
5. क्या एक ही निजी विद्यालय के UDISE कोड को RTE Portal पर बार–बार बदल कर निजी विद्यालयों द्वारा पुनर्भरण प्राप्त किया गया है।
6. क्या भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन एवं दावा क्लेम प्राप्त किये बिना निजी विद्यालयों को RTE राशि का पुनर्भरण किया गया है।
7. क्या RTE फीस पुनर्भरण विद्यालयों के बैंक खातों से भिन्न व्यक्तिगत/अन्य खातों में किया गया है।
8. RTE पुनर्भरण के अनियमित भुगतान के प्रकरणों में विभागीय/कार्यालय के कार्मिकों की क्या भूमिका रहीं है।
9. क्या पुनर्भरण दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना की गई है।
10. RTE फीस पुनर्भरण के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषण की क्या स्थिति है।

उपरोक्त जांच दल को निर्देशित किया जाता है कि जांच कार्य दिनांक 17.11.2025 से प्रारम्भ कर अनियमितताओं के लिए अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अभिलेखीय साक्ष्यों सहित एक माह में पूर्ण कर विशेष जांच प्रतिवेदन 04 प्रतियों में (दो मूल प्रति सहित) मय परिशिष्टो के निदेशालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

–sd–
(कीर्ति जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ 2484–857 दिनांक :– 11–11–2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप महालेखाकार (लेखा), राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
7. संयुक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, संभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विशेष जांच दल को जांच कार्य हेतु वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने हेतु एवं जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करावें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, अलवर।
9. प्रभारी, आंतरिक जांच शाखा/भौतिक सत्यापन/संस्थापन/लेखा/रोकड़ शाखा।
10. संबंधित जांच दल प्रभारी/सदस्य श्री बबलू, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, प्रभारी, भौ.जां.दल सं. 19, भरतपुर/श्री सुभाष चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, सदस्य, भौ.जां.दल सं. 19, भरतपुर,/श्री सुमितवीर सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, सदस्य, भौ.जां.दल सं. 19, भरतपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विशेष जांच कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर के विशेष जांच प्रतिवेदन संख्या 07/2025–26 की प्रति संलग्न है।
11. सूचना सहायक, निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी, विशेष जांच दल को ई–मेल द्वारा भिजवाया जाना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

(रामेश्वर परसोया)
अतिरिक्त निदेशक
(अंकेक्षण)